



82293 - किसी सरकारी विभाग के खर्च पर हज्ज करना

प्रश्न

मैं एक युवा हूँ और अल्लाह की कृपा से मेरे पास हज्ज के लिए पर्याप्त धन है, मुझे हज्ज के दौरान काम करने का तथा साथ ही साथ एक सरकारी विभाग के खर्च पर इस महान कर्तव्य की अदायगी का अवसर प्राप्त हुआ। तो क्या मेरा यह हज्ज जाइज़ है या नहीं ? ज्ञात रहे कि यह मेरा पहला हज्ज है।

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

इंसान के लिए दूसरे के खर्च पर हज्ज करना जाइज़ है, चाहे वह फर्जहज्ज हो या नफ़ली हज्ज, तथा उस के लिए हज्ज के दौरान काम करना, तिजारत करना और कमाना भी जाइज़ है। इमाम तबरी ने अपनी तफ़सीर में अपनी सनद के साथ इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से अल्लाह तआला के फरमान : "तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह की बात नहीं है कि तुम अपने खर्च की अनुकम्पा को तलाश करो।" (सूरतुल बक्रा : 198)

में रिवायत किया है कि उन्होंने ने कहा : "एहराम से पहले और उसके बाद खरीदने और बेचने (क्रय-विक्रय करने) में तुम्हारे ऊपर कोई हानि नहीं है।"

तथा फतावा की स्थायी समिति से प्रश्न किया गया कि उस आदमी का क्या हुक्म है जो हाकिम (शासक) के खर्च पर हज्ज करता है ?

अर्थात् : यह कि जब कोई हाकिम अपनी जन्ता को कुछ धन देना चाहे और उन से कहे कि : इस धन के द्वारा हज्ज करो, तो क्या उन के लिए जाइज़ है कि वे उस के द्वारा हज्ज करें या नहीं ? और यदि उन्होंने ने उस धन के द्वारा हज्ज कर लिया तो क्या उन के इस्लाम का हज्ज (फरीज़ा) समाप्त हो जायेगा ? आप जो कुछ भी उत्तर दें उस का सबूत भी उल्लेख करें।

तो उन्होंने ने इस का उत्तर दिया कि : "उन के लिए हज्ज करना जाइज़ है, और उन का हज्ज सहीह है ; क्योंकि इस बारे में प्रमाण सामान्य है।"

"फतावा अल्लज्ना अद्दाईमा" (11/36)



तथा प्रश्न संख्या (36841) का उत्तर भी देखिये।

हम अल्लाह तआला से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे और आप के नेक कामों को स्वीकार करे।

और अल्लाह तआला ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान रखता है।